BCCI BULLETIN

Vol. XXXXIX | January – February 2018 | No. 1

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधिमंडल ने रखी अपनी बात

बिहार में निवेश करेंगे लुधियाना के उद्यमी

लुधियाना के वस्त्र उद्योग के उद्यमियों के साथ विचार-विमर्श करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल (बाँयें से तीसरे)। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं जीएसटी उपसमिति के सह-संयोजक श्री आलोक पोद्दार। बाँयीं ओर बियाडा के कार्यकारी निदेशक श्री योगेन्द्र लाल एवं लुधियाना के वस्त्र उद्योग के उद्यमी।

लुधियाना से आए टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े उद्यमियों ने शनिवार 6 जनवरी 2018 को उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ से मुलाकात की। विकास भवन स्थित कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े उद्यमी बिहार में उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में निवेश पर सहमत हो गए हैं इससे बिहार में 20 से 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

डॉ. सिद्धार्थ ने उद्यमियों को राज्य सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता वाले निवेश क्षेत्रों के संबंध में हाल ही में जारी किए गए निर्देशों की जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि किन-किन क्षेत्रों में निवेश करने पर उद्यमियों को कितनी रियायतें सरकार के स्तर से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने लाइसेंस लेने से लेकर अन्य सभी सुविधाओं की जानकारी दी।

डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि पटना आकर उनसे मुलाकात करने वालों में 16 उद्यमियों में ओरिएंटल डाइंग के रजत सूद, वर्ल्ड वाइड टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड के पवन गर्ग, मिलन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नरेन्द्र चुग, केजी एक्सपोर्ट के हरीश दुआ आदि मैन्युफक्चर और एक्सपोर्टर थे। लुधियाना में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित मीट में राज्य सरकार ने वहाँ के उद्यमियों से जो वायदे किए थे, उनको पूरा किया जाएगा।

लेमन ट्री प्रिमियम होटल में लुधियाना के वस्त्र उद्यमियों से विचार-विमर्श करते उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ० एस. सिद्धार्थ, चैम्बर के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीगण।

ज्ञान भवन में लुधियाना के उद्यमियों को बिहार गार्मेंट फेयर को दिखाते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

1 फरवरी, 2018 को माननीय वित मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत केन्द्रीय आम बजट 2018–19 देश के दृष्टिकोण से संतुलित एवं अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करनेवाला बजट है एवं स्वागतयोग्य है। इस बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के हितों का ध्यान रखा गया है।

''आयुष्मान भारत'' देश के हेल्थ केयर की तस्वीर बदल देगी। एयरपोर्टों की संख्या पाँच गुणा बढ़ाना, हर जिले में स्कील सेंटर खोलना, राष्ट्रीय हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम तथा धार्मिक पयर्टन शहरों के लिये हेरिटेज सिटी के निर्माण की योजना आदि, स्वागत योग्य कदम है।

दिनांक 17 से 24 जनवरी, 2018 तक बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका के दौरे पर रहा एवं अपने भ्रमण के क्रम में चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज सेन्ट्रल प्रोविन्स, सिलॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिलॉन नेशनल चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ–साथ Hon'ble Assistant High Commission of India, श्री धीरेन्द्र सिंह, श्रीलंका के विदेश मंत्री श्री थीलक मारापाना एवं श्रीलंका संसद के स्पीकर श्री कारू जयसूर्या आदि प्रमुख लोगों के साथ बैठक किया एवं विचारों का आदान–प्रदान किया। भ्रमण सम्बन्धित एक संक्षिप्त रिपोर्ट आपके अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ इसी अंक में आगे प्रकाशित की गयी है।

बन्धुओं, 25 फरवरी, 2018 को बिहार बजट 2018 पर चर्चा हेतु माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गयी थी जिसमें मेरे नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ एवं एक विस्तृत ज्ञापन समर्पित किया।

दिनांक 12 फरवरी, 2018 को नव पदस्थापित जिलाधिकारी श्री कुमार रवि जी के साथ एक बैठक हुई जिसमें चैम्बर की ओर से उनका अभिनन्दन किया गया। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर बाल विवाह एवं दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरोध में 21 जनवरी, 2018 को पूरे बिहार में बनने वाली मानव श्रृंखला में पूर्व की भांति चैम्बर की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया गया।

दिनांक 21 जनवरी, 2018 को बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के समर्थन में आयोजित राज्यव्यापी मानव श्रृंखला में चैम्बर के वरीय सदस्य सम्मिलित हुए एवं इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया।

29 जनवरी, 2018 को Government-e-Marketplace पर चैम्बर एवं वाणिज्य–कर विभाग की एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुई। Government-e-Marketplace (GeM) के पदाधिकारियों द्वारा सदस्यों को विस्तृत जानकारी दी गयी।

30 जनवरी, 2018 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पाण्डेय एवं माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने चैम्बर द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन किया और इस कार्यक्रम के संचालन हेतु उन्होंने चैम्बर की सराहना की।

आप सबों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ।

आपका
पी. के. अग्रवाल

चैम्बर प्रांगण में अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल द्वारा दिनांक 26 जनवरी 2018 को 11:00 बजे पूर्वाहन में राष्ट्रध्वज फहराकर 69वाँ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर के सदस्यगण काफी संख्या में उपस्थित थे।

सुरक्षा व गारंटी दे सरकार तो लगाएंगे टेक्सटाइल यूनिट : इससे पहले बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के कांफ्रेंस हॉल में लुधियाना के टेक्सटाइल उद्योगपति व केजी एक्सपोर्टस के निर्माता व गारमेंट निर्यातक हरीश दुआ ने कहा कि अगर बिहार सरकार इन सुविधाओं को उपलब्ध करा देती है तो सूबे में तत्काल 20 उद्योग लगाए जा सकते हैं।

मिलियन एक्सपोर्ट प्रा. लि. के नरिंदर चुग ने कहा कि बिहार सरकार से काफी सकारात्मक सहयोग मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जरूरी आधारभूत संरचना मिलने की स्थिति में यहाँ से फैशन का नया ट्रेंड और बढ़िया कारोबारी माहौल बन सकता है। उन्होंने बताया कि बिहार के कारीगरों को ट्रेंड करके यहीं पर रोजगार मिलने की स्थिति में सूबे का विकास भी तेज गति से हो सकेगा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बिहार के टेक्सटाइल हब बनने की स्थिति में यहाँ 30 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

प्रतिनिधिमंडल का चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने स्वागत किया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि बिहार में उद्योग व निवेश की बेहतर संभावना के साथ बढ़िया माहौल है।

इस अवसर पर उपाध्यक्ष मुकेश जैन, महामंत्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, जीएसटी उपसमिति के सह संयोजक आलोक पोद्दार, पूर्व महामंत्री पशुपतिनाथ पांडेय, रामचन्द्र प्रसाद, सावल राम डोलिया सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।

बातचीत के दौरान से पूर्व में प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने ज्ञान भवन में लगे बिहार गार्मेंट फेयर का दौरा भी किया जिसमें चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल भी थे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 7.1.2018)

चैम्बर ने नव पदस्थापित जिलाधिकारी का किया स्वागत

मानव श्रृंखला में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सहभागिता जरूरी : जिलाधिकारी

सदस्यों को संबोधित करते जिलाधिकारी श्री कुमार रवि। उनकी दाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी। उनकी बाँयीं ओर उप विकास आयुक्त श्री आदित्य प्रकाश, एसडीओ पटना सदर श्री भावेश मिश्रा एवं विशिष्ठ पदाधिकारी अनुभाजन श्री पंकज कुमार।

बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के समर्थन में 21 जनवरी 2018 को बनने वाली मानव श्रृंखला में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सहभागिता जरूरी है। बिहार के उद्यमियों ने पिछले वर्ष सरकार के शराबबंदी निर्णय को भरपूर समर्थन दिया था। इसलिए इस वर्ष भी बिहार चैम्बर आगे बढ़कर आए और सामर्थ्य अनुसार सहयोग करे। ये बातें जिलाधिकारी कुमार रवि ने दिनांक 12 जनवरी 2018 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज सभागार में कही। पदभार संभालने के बाद डीएम पहली पार पटना के व्यापारियों से रूबरू थे।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने जिलाधिकारी का स्वागत करते हुए कहा कि वैसे तो वे स्वयं श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे परन्तु चैम्बर के संगठन एवं सदस्यगण मानव श्रृंखला में शामिल होंगे और अधिकाधिक सहयोग सामग्री भी देंगे। विशिष्ठ अनुभाजन पदाधिकारी एवं सहायक दंडाधिकारी पंकज कुमार ने मानव श्रृंखला के मार्गों के संबंध में बताया।

बैठक में जिला प्रशासन की ओर से उप विकास आयुक्त आदित्य प्रकाश, अनुमंडल पदाधिकारी भावेश मिश्रा, विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन पंकज कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी ज्योति कुमार, चैम्बर उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर एवं मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, महामंत्री अमित मुखर्जी, पूर्व अध्यक्ष मोती लाल खेतान, बीसीडीए के अध्यक्ष पी. के. सिंह, प्रदीप चौरसिया सहित चैम्बर के काफी सदस्य मौजूद थे। **(दैनिक भास्कर, 13.1.2018)**

संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों को श्रीलंका दौरे की जानकारी देते हुए चैम्बर अध्यक्ष ने कहा–

श्रीलंका में उद्योग-व्यापार की संभावानाएं तलाशेगा चैम्बर

श्रीलंका में चैम्बर की ओर से भेंट की जाने वाली सामग्रियों को प्रदर्शित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (बाँयें से तीसरे)। उनकी दाँयीं ओर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल। बाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं श्री एस. एम. गुप्ता।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज श्रीलंका में उद्योग-व्यापार की संभावनाएँ तलाश करेगा। इसके लिए चैम्बर का 12 सदस्यीय शिष्टमंडल 17 जनवरी 2018 को श्रीलंका के लिए रवाना होगा। एक सप्ताह की यात्रा के दौरान श्रीलंका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं वहाँ की सरकार के साथ कई स्तर पर बैठकें कर बिहार के लीची, आम, अमरूद, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, रेशम, तसर, मधुबनी पेंटिंग, रेडीमेड वस्त्र उद्योग के संबंध में बताया जाएगा तथा वहाँ चल रहे उद्योग-व्यापर की भी जानकारी ली जाएगी। यह जानकारी दिनांक 14 जनवरी 2018 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा श्रीलंका जाने वाले शिष्टमंड में चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष विशाल कुमार टेकरीवाल, महामंत्री अमित मुखर्जी, पूर्व अध्यक्ष ओ. पी साह, पूर्व उपाध्यक्ष गणेश कुमार खेतड़ीवाल, पूर्व महामंत्री राजा बाबू गुप्ता के साथ सुरेन्द्र मोहन गुप्ता, नवीन कुमार मोटानी, राजेश कुमार खेतान, सुनील सर्राफ एवं राजेश कुमार अग्रवाल होंगे। 16 जनवरी को पटना से कोलकाता और 17 जनवरी को वहाँ से श्रीलंका के लिए प्रस्थान करेंगे। 24 जनवरी को श्रीलंका से वापसी होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य श्रीलंका एवं भारत विशेष कर बिहार के बौद्ध पर्यटन, उद्योग एवं व्यापार के परिपेक्ष्य में आपसी तालमेल और एक दूसरे के देश में आने- जाने तथा आदान-प्रदान के माध्यम से संबंधों को प्रगाढ़ बनाना है। बोध गया बौद्ध धर्म के अनुयायियों के प्रमुख तीर्थ स्थल होने के कारण श्रीलंका के लोगों की इच्छा होती है कि बोध गया और इसके करीबी इलाकों का भ्रमण किया जाए। इसलिए चैम्बर श्रीलंका के लोगों को अधिक संख्या में बिहार आने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही श्रीलंका से आयात किए जाने वाली वस्तुएँ जेम्स, आर्टिफिसियल ज्वेलरी, रबड़, आयुर्वेद एवं हर्वल प्रोडक्टस, नारियल और मसाले पर भी विचार-विमर्श होगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा श्रीलंका की कैंडी स्थित व्यवसायिक संगठन के साथ भी 19 जनवरी को बैठक किया जाएगा। इस संबंध में कैंडी स्थित भारत के असिसटेंट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया से पत्राचार किया गया है। इस यात्रा की सूचना बिहार सरकार को भी दी गई है। 22 जनवरी को सिलौन नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक तय है। इसके अलावा वहाँ विदेश मामले के मंत्री थिलक मारापाना, उद्योग मंत्री रिसाद बाथयूदीन एवं श्रीलंका संसद के सभापति कारू जायसूर्या के साथ 22-23 जनवरी को शिष्टमंडल के मिलने का प्रस्ताव है।

चैम्बर की तरफ से दी जायेगी भेंट : बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा श्रीलंका को मेमोंटो, चैम्बर पर जारी डाक टिकट, चैम्बर के 90 साल पूरा होने पर प्रकाशित बिहार की ऐतिहासिक पृष्टभूमि से जुड़ी पुस्तक आदि सामग्री भेंट की जाएगी। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 15.1.2018)**

बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के समर्थन में आयोजित राज्यव्यापी मानव श्रृंखला में चैम्बर सम्मिलित

रामगुलाम चौक के पास एक्जीविशन रोड में मानव श्रृंखला में खड़े चैम्बर के सदस्यगण।

दिनांक 21 जनवरी 2018 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों ने बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के समर्थन में आयोजित राज्यव्यापी मानव श्रृंखला में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और दहेज न लेने एवं न देने का संकल्प लेते हुए इस सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने का मन बनाया।

मानव श्रृंखला दोपहर 12 बजे से 12.30 बजे तक आयोजित हुई।

इस अवसर पर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल जो इस समय श्रीलंका में हैं, ने वाटसएप के माध्यम से राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों से अपील किया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी न करें क्योंकि बाल विवाह के गंभीर परिणाम होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दहेज

फ्रेजर रोड में श्रृंखला में खड़ी महिलायें।

दानापुर में मानव श्रृंखला में खड़े दानापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यगण।

प्रथा एक सामजिक करीति है, इसे समाप्त करने में सरकार का सहयोग करें तथा समाज में जो व्यक्ति दहेज लेता या देता हो उसके शादी में सम्मिलित न होकर उसका सामजिक बहिष्कार करें।

चैम्बर की ओर से मानव श्रृंखला में भाग लेने वाले लोगों के लिए हाफ कैप एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था एक्जीविशन रोड, कारगिल चौक, रामगुलाम चौक, डागबंगला, अशोक राजपथ आदि स्थानों पर की गयी थी ताकि पंक्ति में खड़े लोगों को कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

चैम्बर के इस कार्य को सफल बनाने में वरीय सदस्य श्री सच्चिदानन्द, श्री राजीव अग्रवाल, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री आलोक पोददार, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री शशि गोयल, श्री अब्दुल मोजिब अंसारी, श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा, श्री कमल कुमार नोपानी, श्री सुनील गुप्ता, श्री बी. के. सुरेका, श्री आर. के. सुरेका, श्री अजय गुप्ता आदि सम्मिलित थे।

Bihar Industry Ready for Special Status Tradeoff with IDF

With the implementation of Goods and Services Tax (GST) taking the steam out of longstanding special category status demand, trade and industry bodies are now pitching for announcement of an industrial development fund (IDF) in the Union budget 2018 to help industrially backward states, like Bihar.

The wish list, as usual, is long with business circles pining for 5-10 year long tax holidays sector specific initiatives, higher capital investment subsidy rates rural areas and special tax deductions for staff and faculty engaged in health and education sector as tools to address the issue of regional imbalance.

Bihar Chamber of Commerce, on its part, has asked for 5

and 10-year tax holiday for manufacturing and education sectors respectively to boost investment, job creation and human resource development, besides higher capital investment subsidy rate revving up growth in rural pockets.

"Manufacturing is vital for job creation, so is education and healthcare sectors for converting human resource into economic dividend," explained chamber president P. K. Agrawal, in a pre-budget demand submitted to the Union finance ministry. He has also demanded incentives for tourism sector, in addition to re-introduction of cash back system (under VAT regime) for timely GST compliance.

(Source : Hindustan Time : 23.1.2018)

चैम्बर द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित मंत्री को आगामी बजट हेतु विस्तृत ज्ञापन समर्पित

सचिवालय के सभाकक्ष में आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट हेतु आयोजित बैठक में चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के ज्ञापन को सुनते माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी एवं विभागीय पदाधिकारीगण।

दिनांक 25 जनवरी, 2018 को मुख्य सचिवालय के सभाकक्ष में माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित मंत्री द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट हेतु बैठक आयोजित हुई।

उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया एवं माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन समर्पित किया। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री राजीव अग्रवाल, श्री ए. के. पी. सिन्हा, सह संयोजक श्री आलोक पोद्दार, पूर्व महामंत्री श्री शशि मोहन एवं श्री सुनील सराफ सम्मिलित थे।

माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री को समर्पित ज्ञापन के मुख्य अंश सदस्यों के अवलोकनार्थ बुलेटिन के इसी अंक में आगे उद्धृत की गयी है।

चैम्बर में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर जागरूकता-सह-बिक्रेता निबंधन कार्यक्रम आयोजित

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर वित्त विभाग के संयुक्त सचिव श्री उदयन मिश्रा, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त श्री मार्कण्डेय ओझा, अपर आयुक्त श्री के. के. गुप्ता एवं जेम के डिप्टी सीईओ श्री सेनजीत कुमार। दाँयीं ओर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 29 जनवरी 2018 को वाणिज्य-कर विभाग के सहयोग से गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर जागरूकता-सह-बिक्रेता निबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वित्त विभाग के संयुक्त सचिव श्री उदयन मिश्रा, वाणिज्य-कर विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री मार्कण्डेय ओझा, अपर आयुक्त श्री के. के. गुप्ता, जेम (GeM) के डिप्टी सी.ई.ओ. श्री सेनजीत कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक (GeM) श्री इम्तियाज अंसारी एवं श्री अमित उपाध्याय, वाणिज्य-कर विभाग के उपायुक्त श्री संजय कुमार प्रसाद, पटना पूर्वी प्रमंडल के संयुक्त आयुक्त श्री संतोष कुमार, पटना पश्चिम

क्षेत्र के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) श्री शंकर कुमार मिश्रा, पटना सेन्ट्रल सर्किल उपायुक्त (इंचार्ज) श्री प्रणवबोध रूंगटा उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी सरकारी खरीद होगी वह ऑनलाईन ई-ट्रेडिंग के माध्यम से होगी। इसके लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस का गठन किया गया है। इसमें पंजीकरण के पश्चात् ही सामानों की आपूर्ति की जा सकेगी। भविष्य में केवल इसी माध्यम से सरकार खरीद करेगी। वित्त विभाग, वाणिज्य-कर विभाग एवं GeM के पदाधिकारियों द्वारा इस प्रणाली के विषय में पूर्ण जानकारी दी जायेगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त विभाग के संयुक्त सचिव श्री उदयन मिश्रा ने कहा कि केन्द्रीय विभाग व उपक्रम को उत्पाद की सप्लाई करने में बिहार के उद्यमी अभी पीछे हैं जिसका प्रमुख कारण कम सप्लायरों का निबंधन होना है। इसलिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस में यथाशीघ्र अपने फर्म या कंपनी का निबंधन करायें। उन्होंने आगे कहा कि अगले माह से यह प्रावधान बिहार में भी लागू हो जायेगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन करा लें क्योंकि उत्पादों की खरीद या सर्विस की सप्लाई केवल इसी माध्यम से होगी। इसलिए इस प्रणाली के बारे में जानना उद्यमियों के लिए आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि राज्य में अभी तक केवल 120 सप्लायर रजिस्टर्ड हैं। निबंधन प्रक्रिया अभी चालू है। यह अभी तक तो एच्छिक था परन्तु अब इसे अनिवार्य कर दिया जायेगा। नये प्रणाली के पूल खाते में भुगतान पहले ही जमा कर दी जाती है। आर्डर मिलने के 10-15 दिनों के अंदर उत्पाद की सप्लाई करनी होगी। उन्होंने बताया कि फरवरी माह के अंत तक एक बैठक इसी प्रणाली पर चैम्बर में की जायेगी।

गवनर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के डिप्टी सी.ई.ओ. श्री सेनजीत कुमार ने बताया कि पंजीकरण का कार्यक्रम कई चरणों में किया जायेगा। पहला चरण शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो उद्यमी केन्द्र या राज्य सरकार के विभागों में अपने प्रोडक्टस सप्लाई करने के इच्छुक हैं, वह अपने फर्म का शीघ्र रजिस्ट्रेशन करा लें।

इस प्रणाली के संबंध में संयुक्त आयुक्त श्री मार्कन्डेय ओझा, श्री संतोष कुमार, श्री शंकर कुमार मिश्रा एवं जेम (GeM) के इम्तियाज अंसारी ने पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी सदस्यों को दी। उन्होंने अपना मोबाइल नं.- 7694012267, 8877973269 एवं ईमेल आई.डी. - amit.upadhyay@intellectdesign.com एवं imtiyaz.ansari@intellectdesign.com से सदस्यों को अवगत कराते हुए बताया कि यदि आपकी कोई समस्या हो तो उनसे सम्पर्क कर सकते हैं ।

कार्यक्रम के दौरान सदस्यों द्वारा कई प्रश्न भी किये गये। जिसका उत्तर अधिकारियों ने दिया।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखजी, जी.एस.टी. उप-समिति के संयोजक श्री नवीन कुमार मोटानी एवं सह-संयोजक श्री आलोक पोद्दार, श्री पी. के. सिंह, श्री राजेश खेतान, श्री सुमित कुमार सहित चैम्बर के सदस्य एवं प्रेस बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे।

चैम्बर द्वारा संचालित नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं श्रम संसाधन मंत्री द्वारा अवलोकन एवं सराहना

कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन करते माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पाण्डेय एवं माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, पूर्व महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय एवं महिला प्रशिक्षणार्थीगण।

दिनांक 30 जनवरी 2018 को चैम्बर द्वारा संचालित नि:शुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पाण्डेय एवं माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा अवलोकन किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कौशल विकास केन्द्र के बारे में माननीय मंत्रियों को जानकारी दी। साथ ही बताया कि चैम्बर अपने उपलब्ध संसाधानों से इस केन्द्र का नि:शुल्क संचालन विगत कई वर्षों से करता आ रहा है। सिलाई मशीन, कम्प्यूटर, फर्नीचर आदि चैम्बर ने ही उपलब्ध कराया है। सिलाई के लिए और कम्प्यूटर हेतु दो-दो प्रशिक्षिकाएँ नियुक्त हैं। इस केन्द्र की समन्वयक डा. गीता जैन, आधार महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति पटना हैं।

कम्प्यूटर की प्रशिक्षिका से जानकारी लेते माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं माननीय श्रम संसाधन मंत्री। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

कम्प्यूटर की प्रशिक्षिणार्थीयों से जानकारी लेते माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं माननीय श्रम संसाधन मंत्री। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं अन्य।

यहाँ से कई प्रशिक्षित महिलाएँ अपना स्वरोजगार कर रही हैं तथा कुछ को नौकरी भी मिल गयी है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ प्रशिक्षणार्थी महिलाओं से प्रश्न भी पूछे जिसका प्रशिक्षणार्थियों ने संतोषजनक उत्तर दिया और कहा कि चैम्बर द्वारा मिल रहे प्रशिक्षण से हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय श्रम संसाधन मंत्री ने इस कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु चैम्बर की काफी प्रशंसा की।

बिहार केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसियेशन की 15वीं वार्षिक आम सभा में चैम्बर अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए

आम सभा को संबोधित करते माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी एवं मंचासीन (बाँयें से दाँयें) चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह, माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पाण्डेय, बीसीडीए के अध्यक्ष श्री पी. के. सिंह, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, बीसीडीए के मंत्री श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री उत्पल सेन।

दिनांक 30.1.2018 को बिहार केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसियेशन (BCDA) के 15वीं आम सभा चैम्बर के साहु जैन हॉल में आयोजित हुई। इस आम सभा में माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त वाणिज्य-कर मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी मुख्य अतिथि, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, बिहार श्री मंगल पाण्डेय एवं माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल तथा चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

इस आम सभा को चैम्बर अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पाण्डेय जी से निवेदन किया कि यदि उनकी सहमति एवं सहयोग मिले तो चैम्बर प्रांगण में हम फार्मासिस्ट के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाना चाहते हैं। साथ ही निवेदन किया कि यहाँ से प्रशिक्षित फार्मासिस्ट को आपके विभाग की मान्यता मिले ताकि उन्हे रोजगार मिल सके।

चैम्बर अध्यक्ष ने BCDA द्वारा दवा व्यवसायियों के हित में किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष को BCDA द्वारा पुष्पगुच्छ, शॉल एवं मेमेन्टो देकर सम्मानित भी किया गया।

पी. के. अग्रवाल प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य मनोनीत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल को बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का सदस्य मनोनीत किया है।

श्री अग्रवाल के मनोनयन से राज्य के वर्तमान उद्यमियों के साथ-साथ नये उद्यमियों को भी उद्यम के स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त करने एवं इस बात की जानकारी प्राप्त करने में सहजता होगी कि बोर्ड से सहमति के लिए कौन-कौन से कागजात आवश्यक हैं। साथ ही उद्यमियों द्वारा प्रदूषण से संबंधित अनुभव किये जाने वाले समस्याओं को उच्च स्तर तक पहुँचाने में भी सहायक होगी।

(साभार : आज, 16.2.2018)

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES (BCCI) DELEGATION VISIT TO SRI LANKA FROM 17TH JANUARY TO 24TH JANUARY, 2018

BCCI delegation with the Indian Assistant High Commissioner Shri Dhirendra Singh at Kandy.

The visiting delegation of Bihar Chamber of Commerce & Industries (BCCI) under the leadership of Sri P.K.Agrawal President comprising of Shri Mukesh Kumar Jain, Vice President, Shri Vishal Tekriwal, Hony.Treasurer, Shri Amit Mukherji, Secretary General, Shri O. P. Sah, Former President, Shri Ganesh Kumar Khetriwal, Former Vice President, Shri Surendra Mohan Gupta, Shri Navin Kumar Motani, Convenor, GST Sub-Committee, Shri Raja Babu Gupta, Former Secretary General, Shri Rajesh Kumar Khetan, Member, Executive Committee, Shri Sunil Saraf, Member, Executive Committee, Shri Rajesh Kumar Agrawal, Member, Executive Committee was warmly welcomed by the respective **heads of the three Chambers, Speaker of the Sri Lanka Parliament and Ministers namely**

1. **"Chamber of Commerce & Industry of Central Province" Kandy in association with the office of "The Assistant High Commission of India", Kandy ;**
2. **"The Ceylon Chamber of Commerce" in Colombo and**
3. **"The Ceylon National Chamber of Industries" in Colombo.**

The delegation has also the pleasure of meeting

4. **The Foreign affairs minister of Sri Lanka Mr Thilak Marapana**
5. **The Speaker of Sri Lanka Mr Karu Jayasuria.**

<u>The outcome of the meeting are as follows:</u>

1. Meeting with **"The Assistant High Commission of India", Kandy and "Chamber of Commerce & Industry of Central Province" Kandy on 19TH January 2018.** The delegation of Bihar Chamber of Commerce and Industries led by the **President Sri P. K. Agrawal was welcomed** by the **Assistant High Commissioner of India Sri Dhirendra Singh and the CEO Mr Ashoka Abeywickrama** of the **"Chamber of Commerce & Industry of Central province" Kandy** where the close and ancient trade relations between the countries was highlighted and the possibilities of trade and industry was stressed upon.
2. The meeting between BCCI and **"The Ceylon Chamber of Commerce" in Colombo** established in 1839 is the oldest Chamber of Commerce in Asia where the visiting delegation **highlighted the possibilities of higher tourist arrivals and thereby enhance the cultural ties between the two countries.** This was held on 22nd. January 2018 in the forenoon.
3. The meeting with **"The Ceylon National Chamber of Industries" in Colombo** was formed by an Act of Parliament in 1955 and **consists chiefly of Industrialists** and the Chamber **Chairman Sri Raja Hewabowala** welcomed the delegation and briefly outlined the activities of the Chamber and spoke about the industries in Sri Lanka and the Past Chairman of CNCI spoke about the **growth of footwear industries in Sri Lanka and that today the brand DSI is ahead of the international brand Bata.**

   In the course of discussions it was apparent that the **SAFTA agreement** could be used to improve commercial and industrial relations between the countries.

   While the discussions were on; the methods of increasing in **flow of tourists** was also highlighted and that the Sri Lanka tourists concentrated only on Bodh Gaya and Rajgir but there were **several other places within the State of Bihar** which has very close connections with Buddhist traditions and is in the Buddhist circuit of Bihar.
4. The meeting with the **Hon'ble Foreign Affairs Minister of Sri Lanka, Mr Thilak Marapana** was very useful. **He appreciated the bold step taken by the Government of Bihar in enforcing prohibition** and stated that though the step had made a major dent in revenues of the state but **the social fallout is praiseworthy.** On the tourist front **he suggested** that if the delegation could explore the **feasibility of accommodation** which would be **friendly to the pockets of the Sri Lankan tourists** who **do not need five starred hospitality** but they certainly **look forward to clean and neat accommodation.** He was **presented** with a copy of the **Coffee Table Book** published in the 90th year of the Chamber and a **memento**.

   He was appreciative that the **Bihar Chamber of**

Commerce & Industry (BCCI) had decided to visit his country and **when informed about the meetings** with **three chambers** namely **"Chamber of Commerce & Industry of Central Province" Kandy; "The Ceylon Chamber of Commerce"** and **"The Ceylon National Chamber of Industries" in Colombo, he opined** that he looked forward to this visit culminating in **increased trade and commerce between the two countries.**

5. **The meeting with the Hon'ble Speaker, Mr Karu Jayasuria** was a **pleasant surprise** as he **knew the name of all the delegates** and here again he discussed with the visiting delegation the present political scenario and also the heavy foreign debts that had been taken by the past government and the formation of the present National Government of Sri Lanka. Though **he commented** on the **Big Brother attitude of the Indian Government** and was **thankful to India** for **the help** that his country received whenever it was needed. He also stated that **Colombo being a deep sea port, Indian importers and exporters often used this port to transship goods.**

He was also **appreciative of the booklet prepared by the Chamber** indicating the **Buddhist Circuit** and stressed that efforts were being made to have a **Ramayana Circuit** in Sri Lanka. He envisioned a road connection from Rameshawaram to the Southern tip of Sri Lanka enabling easier movement of goods and tourists between the two countries, He stated that a project report has been made and that the same has been handed over to the Prime Minister of India Sri. Narendra Modi who has shown keen interest in the project and was hopeful that the project would soon see the light of the day.

The visit was very successful as the delegation's interaction with their counterparts and the political leaders is likely to result in higher inflow of tourists from Sri Lanka and further improve trade and commerce.

BCCI President Shri P. K. Agrawal presenting Coffee Table Book to the Assistant High Commissioner, Shri Dhirendra Singh at Kandy

BCCI President Shri P. K. Agrawal addressing the members of Chamber of Commerce & Industry of Central Province, Kandy

BCCI Delegation at Ceylon Chamber of Commerce, Colombo.

Delegation of BCCI
at
The Ceylon National Chamber
of
Industries,
Colombo
with
the Chairman Shri Raja
Hewabowala

Chairman Shri Raja Hewabowala
of
The Ceylon National Chamber
of
Industries,
Colombo
welcoming
the visiting BCCI delegation

BCCI President
Shri P. K. Agrawal
addressing Members
of
Ceylon National Chamber
of Industries,
Colombo.

Chairman
Shri Raja Hewabowala of
The Ceylon National Chamber
of Industries,
Colombo
presenting Memento
to
BCCI President
Shri P. K. Agrawal

BCCI delegation
presenting Memento
to
Shri Thilak Marapana,
Hon'ble Foreign Minister,
Sri Lanka

BCCI delegation
presenting
Coffee Table Book
to Shri Thilak Marapana,
Hon'ble Foreign Minister,
Sri Lanka

BCCI delegation
with
the Hon'ble Speaker, Sri Lanka
Shri Karu Jaysuria.

बिहार को पेट्रो रसायन कांप्लेक्स की उम्मीद

कुछ ही घंटों के बाद आम बजट पेश किया जाएगा। सबकी उम्मीदें लगी हुई हैं। किसी को खुद की चिंता है। किसी को अपने सेक्टर की चिंता है तो किसी को पूरे बिहार की। केन्द्रीय वजट में किसे क्या मिलेगा, यह बाद में साफ होगा। फिलहाल सबकी आशाएँ आसमानी हैं। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल भी आम बजट से कई उम्मीदें लगाएँ बैठे हैं। दैनिक जागरण के संवाददाता दिलीप ओझा से उन्होंने अपने विचारों को साझा किया।

जानते हैं क्या-क्या हैं उनकी उम्मीदें....

- **आम बजट से क्या उम्मीदें हैं?**

कई उम्मीदें हैं। भरोसा है, आम बजट में बिहार को विशेष तवज्जो दिया जाएगा। 27 साल बाद केन्द्र और बिहार में एक सोच वाली सरकारें हैं। केन्द्र सरकार सभी पिछड़े राज्यों का विकास पूरे मन से कर रही है। बिहार भी उनमें से एक है। रेल, सड़क, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्र को तवज्जो दिए जाने की उम्मीद है। खास तौर से बरौनी में पेट्रो रसायन कांप्लेक्स को मंजूरी मिलने तक की मुझे आशा है। हाल ही में राजस्थान स्थित बाड़मेर रिफाइनरी की शुरुआत कर केन्द्र सरकार ने इसका संकेत भी दे दिया है। 42 हजार करोड़ रुपये की यह परियोजना है। इसी वजह से मुझे पेट्रो रसायन कांप्लेक्स की उम्मीद जगी है। बरौनी में भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसे विकसित किया जा सकता है।

- **क्या विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा बिहार के लिए इस बार की जा सकती है?**

बिल्कुल, पूरी उम्मीद है कि बिहार को विशेष वित्तीय पैकेज इस बार

मिलेगा। विशेष राज्य का दर्जा के पैमाने पर बिहार खरा नहीं उतर सका। इसलिए अब विशेष पैकेज या सब्सिडी से इसकी भरपाई की जा सकती है। हाल ही में बिहार दौरे पर आए केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कहा कि पाँच साल में दो लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इस बात से भी संकेत मिलता है कि वजट में बिहार प्रमुखता से दिखाई देगा।

• वजट में क्या-क्या मिल सकता है बिहार को?

इंफास्ट्रक्चर क्षेत्र व्यापक है। सड़क के अलावा, कम्यूनिकेशन, गैस पाइप लाइन, एयरपोर्ट विकास, ड्राई एयरपोर्ट आदि की घोषणा भी हो सकती है। इनकी मांग पहले से की जाती रही है। केन्द्र सरकार इन बातों पर गंभीर भी दिखाई दे रहा है। इसलिए इनको भी आम बजट में जगह मिल सकती है।

• क्या बिहार में केन्द्र भी निवेश कर सकता है।

बीते 25 से 30 सालों में केन्द्र सरकार की ओर से बिहार में कोई बड़ा निवेश नहीं आया है। अब संभावना बन रही है कि केन्द्र सरकार किसी बड़े उद्योग की घोषणा बिहार के लिए कर सकता है। प्रधानमंत्री का नारा ही है- सबका साथ-सबका विकास। मतलब यह कि पिछड़े राज्यों को विकासशील और विकसित करने की कोशिश केन्द्र सरकार कर रही है। बिहार भी पिछड़ा राज्य है। इसलिए इसके लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है।

• रेल बजट भी इस बार आम बजट का हिस्सा है। बिहार को क्या मिलने की उम्मीद है?

रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाएँ बिहार में शुरू हुई लेकिन ये प्रोडक्शन स्तर पर नहीं पहुँच पाई हैं। उम्मीद है कि इन्हें उत्पादन की स्थिति में लाने के लिए आम बजट में कई घोषणाएँ हो सकती हैं। मुगलसराय-झाझा रेल लाइन पर बहुत लोड है। हमारी माँग है कि इसके लिए थर्ड लाइन विकसित की जाए। उम्मीद है कि इस दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। **(साभार : दैनिक जागरण, 1.2.2018)**

पटना इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसियेशन (पेटा) के वार्षिक आमसभा-सह-डायरी लांचिंग समारोह में चैम्बर अध्यक्ष सम्मिलित हुए

पटना इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसियेशन (पेटा) के वार्षिक आमसभा-सह-डायरी लांचिंग समारोह का दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी दाँयी ओर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी। साथ में पेटा के अधिकारीगण।

पटना इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसियेशन (पेटा) के नवीं वार्षिक आमसभा-सह-डायरी लाँचिंग समारोह दिनांक 04 फरवरी 2018 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सभागार में आयोजित हुआ। इस समारोह का उद्घाटन माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने किया।

समारोह को संबोधित करते हुए माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि उद्योग की तर्ज पर व्यवसाय शुरू करने के लिए सभी तरह के लाइसेंस, प्रमाण-पत्रों एवं एन.ओ.सी. आदि के लिए सिंगल विण्डो प्रणाली की व्यवस्था पर सरकार निर्णय करेगी। उन्होंने व्यवसायियों को अपने हर ट्रेड के संगठनों को सुदृढ़ करने का सुझाव दिया ताकि अपने संगठनों के बल पर अपनी मांगें सरकार के समक्ष मजबूती से रख सकें। इसके साथ ही उन्होंने व्यवसायियों से अपने करों का भुगतान समय पर करने की अपील की।

अपने संबोधान में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने माननीय उप-मुख्यमंत्री जी की उद्योग की तर्ज पर व्यवसाय करने हेतु सिंगल विण्डो की व्यवस्था का निर्णय किये जाने की घोषणा के लिए धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। व्यवसायिक संगठनों की मजबूती की दिशा में उन्होंने कहा कि हम इस पर प्रयासरत हैं और जहाँ संगठन नहीं है वहाँ पर गठन का पूर्ण प्रयास करेंगे।

इसी अवसर पर पटना इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसियेशन का नाम बदलकर ''बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसियेशन'' किया गया। अब पूरे बिहार के इलेक्ट्रिक व्यवसायियों को संगठन से जोड़ा जायेगा।

केन्द्रीय बजट 2018-19 की खास बातें

कॉरपोरेट – टैक्स में बड़ी छूट : • लघु और सीमांत उद्योगों के लिए टैक्स 30 प्रतिशत से कम कर 25 प्रतिशत किया गया है • सालाना 250 करोड़ से कम टर्न ओवर वाली कंपनियों को 25% टैक्स • 'स्टार्टअप इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' को फायदा मिलेगा •चालू वित्त वर्ष में जिन कंपनियों का टर्नओवर 250 करोड़ रुपये तक रहा, उन्हें भी 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स ही देना होगा।

युवा : • 50 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप • लघु व मध्यम उद्योग शुरू करने के लिए लोन की सुविधा •70 लाख नयी नौकरियों का सृजन होगा • मुद्रा योजना के लिए तीन लाख करोड़ के आवंटन की घोषणा

छात्र : • प्री-नर्सरी से 12 वी तक के लिए एक नीति • प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो स्कीम के तहत 1000 बीटेक छात्रों को आइआइटी से पीएचडी करने का अवसर •आइआइटी व एनआइटी में 16 नये प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर स्कूल

वरिष्ठ नागरिक : • बैको व डाक घरों में जमा राशि पर ब्याज से हुई

आमदनी पर टैक्स छूट को 10 हजार से बदाकर 50 हजार रुपये तक कर दिया गया है • गंभीर बीमारियों के इलाज पर एक लाख तक के खर्च पर टैक्स से राहत • प्रधानमंत्री वय वंदना योजना मार्च 2020 तक जारी, निवेश सीमा 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया गया • मेडिकल बीमा प्रीमियम या इलाज पर 50 हजार रुपये तक कटौती के लाभ का दावा कर सकेंगे

महिला : • आठ करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन • महिला कर्मियों के ईपीएफ में 3 साल तक 8 फीसदी का सरकारी योगदान • आर्गेनिक फार्मिंग में महिला एसएचजी गुप को प्रोत्साहन और ज्यादा मिलेगा ऋण

किसान : • किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को भी मिलेगा • कृषि ऋण के लिए 11 लाख करोड़ का कोष • खरीफ फसल का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत का डेढ़ गुना होगा • फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ का प्रावधान, आलू और प्याज के उत्पादन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

6 बड़ी घोषणाएं

• 1.50 फीसदी से ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाले प्रखंडों में एकलव्य स्कूल खोले जायेंगे • गांवों में इंटरनेट के लिए 10,000 करोड़ रुपये खर्च, 5 लाख हॉटस्पॉट बनाये जायेंगे • पाँच संसदीय क्षेत्रों पर एक मेडिकल कॉलेज • तीन साधारण बीमा कंपनियों का विलय होगा • प्रत्येक उद्योग को यूनिक आइडी नंबर मिलेगा • शेयरों की बिक्री से एक लाख से अधिक पूंजी लाभ पर 10% कर।

आयकर छूट का दायरा नहीं बढ़ा, एक फीसदी सेस का बोझ

सरकार ने वेतनभोगी वर्ग के लिए आयकर में एक दशक बाद मानक कटौती का लाभ तो दिया, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें जोड़ दी हैं। आयकर और कार्पोरेट कर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की दर तीन प्रतिशित से बढ़ा कर चार प्रतिशत कर दी गयी है। वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को 40, 000 रुपये की मानक कटौती देने की घोषणा की गयी है, लेकिन परिवहन और सामान्य चिकित्सा भत्ते पर कर की छूट खत्म हो जायेगी।

• अति धनाढ्यों पर 10 से 15 प्रतिशत अधिभार जारी रहेगा • 2.5 लाख से अधिक का लेन-देन करने पर पैन अनिवार्य

रु 40,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का आप पर असर

• फिलहाल 19,200 रुपये तक के परिवहन भत्ते तथा 15, 000 रुपये तक के चिकित्सा व्यय पर कोई कर नहीं लगता • अब इन दोनों के बदले 40, 000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलेगी • यानी वास्तविक तौर पर आपको सिर्फ 5,800 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का ही लाभ • ऊपर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर में एक फीसदी की वृद्धि यानी कर बचत बहुत थोड़ा।

सस्ता

अप्रसंस्कृत काजू, सौर टेंपर्ड शीशे, कॉक्लीअर इम्प्लांट का कच्चा माल और एक्सेसरीज, सिल्वर फॉयल, पीओएस मशीनें, फिंगर स्कैनर, देश में तैयार हीरे, सौर बैटरी, एलएनजी फिनिश्ड लेदर, डिब्बा बंद वेज़िटेबल्स और एचआइवी की दवाएँ, ई. टिकट पर सर्विस टैक्स भी कम किया गया है।

महँगा

विदेशी मोबाइल फोन, टीवी सेट्स, लैपटॉप लग्जरी गाड़ियाँ, चाँदी के सिक्के, सिगरेट, पान मसाला, जर्दा, सिगार, एलईडी लाइट, एलईडी लैम्प, लेदर फुटवियर, परफ्यूम, आफ्टर शेव, डियोडरेंट्स, रूम फ्रैशनर, आयातित जूस, एलसीडी / एलईडी / ओएलइडी पैनल, टीवी के पूर्जे, स्मार्ट वॉच, धूप के चश्मे, लाइटर, बस व ट्रक के टायर।

रेलवे : न किराया बढ़ा, न कोई नयी ट्रेन की घोषणा हुई
अब ट्रेनें सिर्फ बड़ी लाइनों पर चलेंगी

रेल पर इस साल 1लाख 48 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का एलान किया गया है। पूरा रेल नेटवर्क ब्रॉड गेज बनाया जायेगा। यानी सभी ट्रेनें अब सिर्फ बड़ी लाइनों पर चलेंगी। 600 स्टेशनों को आधुनिक बनाया जायेगा। माल ढुलाई के लिए 12 वैगन बनेंगे। सभी प्रमुख स्टेशनों पर वाई-फाई, सीसीटीवी, एस्केलेटर लगाये जायेंगे।

• **600** स्टेशनों को आधुनिक बनाया जायेगा • **25,000** से अधिक यात्रियों वाले स्टेशन पर एस्केलेटर • **56** नये एयरपोर्ट बनेंगे देश भर में

(साभार : प्रभात खबर, 2.2.2018)

केन्द्रीय बजट 2018-19 पर चैम्बर की प्रतिक्रिया

कार्पोरेट टैक्स में कमी, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाने का किया स्वागत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को ओर से आम बजट पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी गई है। इसमें कहा गया है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मध्यम वर्ग के लिए आयकर छूट की सीमा नहीं बढ़ाई गई है। चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा है कि विभिन्न करों की दर में राहत नहीं मिलने से उद्योग जगत निराश है। हालांकि, वैसी लघु इकाइयाँ जिनका वार्षिक टर्न ओवर ढाई सौ करोड़ होगा, उनके लिए कार्पोरेट टैक्स की दर में पाँच फीसद की रियायत देकर 25 फीसद कर दिया गया है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एयरपोर्ट की संख्या पाँच गुणा बढ़ाने, नए कर्मचारियों के नियोजन के लिए नियोजकों को ईपीएफ का अंशदान में सहयोग, हर जिले में स्कील सेंटर खोलने, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की शुरूआत करने, रेलवे की सभी लाइनों को ब्राडगेज में बदलने, उद्योगों के लिए आधार की तरह 16 अंकों के नंबर का प्रावधान करने और माल ढुलाई के लिए वैगन बनाए जाने का निर्णय स्वागत योग्य है। **(साभार : दैनिक जागरण, 2.2.2018)**

संतुलित और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला बजट

"यह संतुलित और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला बजट है। आयुष्यमान भारत के साथ-साथ बिहार के हेल्थकेयर की तस्वीर बदल देगी। एयरपोर्ट की संख्या को पाँच गुणा बढ़ाने, हर जिले में स्कील सेंटर खोलने, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की शुरूआत आदि स्वागतयोग्य है। बजटीय घोषणा में धार्मिक-पर्यटन शहरों के लिए हेरिटेज सिटी योजना बनाने की बात से बिहार भी आशान्वित है।" **– पी. के. अग्रवाल,** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पटना **(साभार : दैनिक भास्कर, 2.2.2018)**

बिहार के दृष्टिकोण से निराशाजनक है बजट

बिहार के दृष्टिकोण में देखा जाये, तो यह आम बजट निराशाजनक है। लेकिन देश के दृष्टिकोण से स्वागतयोग्य है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के हित का ध्यान रखा गया है। वैसी लघु एवं मध्यम इकाइयाँ जिनका वार्षिक टर्न ओवर दो सौ पचास करोड़ तक है उनके लिए 25 प्रतिशत टैक्स किया जाना एक स्वागत योग्य निर्णय है। **– पी. के. अग्रवाल,** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पटना **(साभार : प्रभात खबर, 2.2.2018)**

निजी निवेश के मोर्चे पर इस साल मिलेगी बड़ी कामयाबी

निजी निवेश के कई प्रस्तावों के इस साल सरजमीं पर उतरने की संभावना है। पिछले साल राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद ने करीब 60 प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनपर इस मार्च से पहले काम आरंभ हो जाएगा। इनमें करीब एक दर्जन बड़े निवेश के भी प्रस्ताव हैं। वैशाली में सोलर पावर प्लांट और कैमूर में सीमेंट की फैक्ट्री लगनी है। कैमूर में 117.67 करोड़ की लागत से सीमेंट की फैक्ट्री लगाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। वैशाली के जंदाहा में 500 मेगावाट के सोलर पावर जेनरेशन प्लांट लगाने की बात है। इस प्रस्ताव को भी राज्य सरकार की मंजूरी मिली चुकी है। इस प्लांट के माध्यम से प्रदेश में 3611. 20 करोड़ का निवेश होगा। पिछले कुछ महीनों में ऐसे 60 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है जो अगले कुछ माह में सरजमीन पर उतरेंगे। इनसे करीब 6,000 करोड़ के निजी निवेश की उम्मीद है। वहीं टेक्सटाइल क्षेत्र में भी लगभग 1, 000 करोड़ के निजी निवेश होंगे। पंजाब के दस बड़े व्यापारियों ने दिसम्बर माह में बिहार का दौरा कर डेहरी ओनसोन में गार्मेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है। ये बड़े व्यापारी राज्य की नई औद्योगिक नीति से प्रभावित होकर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। उनका कहना है कि पंजाब की तुलना में बिहार में उन्हें बेहतर रियायत मिल रही है। ये करीब एक हजार करोड़ के निवेश करेंगे। पिछले साल खाद्य प्रसंस्करण के भी दो सौ से अधिक प्रस्तावों को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से स्वीकृति मिल चुकी है। उद्योग विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इनमें चावल मिल लगाने के अधिक प्रस्ताव हैं। चावल मिल की स्थापना करने के इच्छुक अधिकांश उद्यमियों ने सरकार से जमीन मुहैया कराने की मांग नहीं की। ऐसे में ये प्रस्ताव जल्द मूर्तरूप ले लेंगे। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 23.1.2018)**

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर, 2017 को बिहार में 3031 करोड़ की लागत से 195 किमी. लम्बाई के 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मोकामा में शिलान्यास के अतिरिक्त पटना में नमामी गंगे प्रोजेक्ट के तहत सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट व सीवरेज नेटवर्क की 738 करोड़ की चार परियोजनाओं की आधारशिला रखने पर चैम्बर अध्यक्ष द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया था। साथ ही चैम्बर अध्यक्ष ने साग्रह निवेदन भी किया था कि उक्त परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु बजट में एवं श्रम शक्ति का इतना प्रावधान करें कि परियोजनाएँ तीन साल में पूरी हो सके।

उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में चैम्बर को डॉ. सूरज प्रकाश, महाप्रबन्धक (त.)-सह परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), बेगुसराय से पत्रांक NHAI/12038/13/BGS/2017/PG/8988 दिनांक 07 फरवरी, 2018 प्राप्त हुआ है जो सदस्यों की सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
पता: प.का.इ.-बेगूसराय हरपुर, पोस्ट-तिलरथ,
जिला-बेगूसराय 851122 (बिहार)

No. NHAI/12038/13/BGS/2017/PG/8988 **दिनांक 07 फरवरी, 2018**

सेवा में,
श्री पी. के. अग्रवाल
(अध्यक्ष)
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज
खेमचंद चौधरी मार्ग, पटना - 8000001
email : bccpatna@gmail.com

विषय : Grievance having registration no. PMOPG / D/ 2017 /0495433 dated 18.10.2017 of Sh. P. K. Agarwal : बिहार में 3031 करोड़ के लागत से 195 किलोमीटर लम्बाई के 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास के संबंध में।

प्रसंग: 1. आपका पत्रांक 172 दिनांक 14.10.2017
2. क्षेत्रीय कार्यालय पटना का पत्रांक 138 दिनांक 12.01.2018

महाशय,

उपरोक्त विषय से संबंधित आपके प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बेगूसराय में निम्नांकित परियोजनाओं का कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	परियोजनाओं का नाम	निमार्ण कार्य एवं श्रम शक्ति की स्थिति
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के औंटा-सिमरिया का चार लेन चौड़ीकरण एवं 6 लेन गंगा सेतु का निर्माण।	संवेदक की नियुक्ति की जा चुकी है। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि घोषित की जायेगी।
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग - 31 के बख्तियारपुर - मोकामा का चार लेन चौड़ीकरण का निर्माण।	संवेदक एवं परामर्शदाता की नियुक्ति की जा चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है।
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग - 107 के महेश-खूंट-सहरसा-पूर्णिया का पेव्ड शेल्डर सहित दो लेन का निर्माण।	संवेदक एवं परामर्शदाता की नियुक्ति की जा चुकी है। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

साथ ही उपर्युक्त परियोजनाओं के सुचारु संचालन हेतु पर्याप्त बजट का भी प्रावधान किया गया है।

सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन
ह/-
(07.02.18)
(डॉ. सूरज प्रकाश)
महाप्रवंधक (त.)-सह परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय पदाधिकारी (बिहार)- पटना को सूचनार्थ समर्पित।

भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

RBI/2017-18/132
DCM (RMMT) No.2945/11.37.01/2017-18 February 15, 2018

The Chairman and Managing Director /
The Managing Director/
The Chief Executive Officer
All Banks

Dear Sir

Acceptance of coins

We invite a reference to Paragraph 1 (d) of our Master Circular DCM (NE) No. G - 1/08.07.18/2017-18 dated July 03, 2017 on Facility for Exchange of Notes and Coins where it was advised that none of the bank branches should refuse to accept small denomination notes and / or coins tendered at their counters. However, Reserve Bank continues to receive complaints about non-acceptance of coins by bank branches. Such denial of service has reportedly, in turn, led to refusal on the part of shopkeepers and small traders, etc., to accept coins as payment for goods sold and services rendered causing inconvenience to the public at large. You are, therefore, once again advised to immediately direct all your branches to accept coins of all denominations tendered at their counters either for exchange or for deposit in accounts.

2. We further advise that it will be preferable to accept coins, particularly, in the denominations of ` 1 and 2, by weighment. However, accepting coins packed in polythene sachets of 100 each would perhaps be more convenient for the cashiers as well as the customers. Such polythene sachets may be kept at the counters and made available to the customers. A notice to this effect may be displayed suitably inside as also outside the branch premises for information of the public.

3. In order to obviate the problems of storage of coins at the branches, coins may be remitted to the currency chests as per the existing procedure. The stock thus built in the currency chest should be utilised for the purpose of re-circulation. In case the stocks of these coins reach beyond the holding capacity of the currency chest for lack of demand, the Issue Department of the Circle may be approached for remittance of coins.

4. The Controlling Offices may be advised to pay surprise visits to the branches and report the position of compliance in this regard to the Head Office. The reports may be reviewed at the Head Office and prompt remedial action taken, wherever necessary.

5. Any non-compliance in this regard shall be viewed as violation of instructions issued by the Reserve Bank of India and action including penal measures as applicable from time to time, may be initiated.

6. Please acknowledge receipt.

Yours faithfully
sd/-
(Uma Shankar)
Executive Director

भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

RBI/2017-18/129
DBR.No.BP.BC.100/21.04.048/2017-18 February 07, 2018

All banks and NBFCs regulated by the Reserve Bank of India

Madam / Dear Sir,

Relief for MSME Borrowers registered under Goods and Services Tax (GST)

Presently, banks and NBFCs in India generally classify a loan account as Non-Performing Asset (NPA) based on 90 day and 120 day delinquency norms, respectively. It has been represented to us that formalisation of business through registration under GST had adversely impacted the cash flows of the smaller entities during the transition phase with consequent difficulties in meeting their repayment obligations to banks and NBFCs. As a measure of support to these entities in their transition to a formalised business environment, it has been decided that the exposure of banks and NBFCs to a borrower classified as micro, small and medium enterprise under the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006, shall continue to be classified as a standard asset in the books of banks and NBFCs subject to the following conditions:

(i) The borrower is registered under the GST regime as on January 31, 2018.
(ii) The aggregate exposure, including non-fund based facilities, of banks and NBFCs, to the borrower does not exceed ` 250 million as on January 31, 2018.
(iii) The borrower's account was standard as on August 31, 2017.
(iv) The amount from the borrower overdue as on September 1, 2017 and payments from the borrower due between September 1, 2017 and January 31, 2018 are paid not later than 180 days from their respective original due dates.
(v) A provision of 5% shall be made by the banks/NBFCs against the exposures not classified as NPA in terms of this circular. The provision in respect of the account may be reversed as and when no amount is overdue beyond the 90/1201 day norm, as the case may be.
(vi) The additional time is being provided for the purpose of asset classification only and not for income recognition, i.e., if the interest from the borrower is overdue for more than 90/1202 days, the same shall not be recognised on accrual basis.

Yours faithfully,
(S. K. Kar)
Chief General Manager

चीनी मिल की जमीन पर औद्योगिक कार्य

राज्य की बंद चीनी मिलों की जमीन अब बियाडा को दी जाएगी। मिलों की इन जमीनों पर औद्योगिक गतिविधियाँ शुरू होंगी। राज्य में बंद चीनी मिलों की सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी हैं। इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसको ध्यान में रखकर सरकार ने योजना बनाई है कि इन जमीनी पर औद्योगिक गतिविधियाँ शुरू की जाएंगी। सरकार राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहती है।

जिले में कितनी जमीन : • मोतीपुर मुजफ्फरपुर - 897 • बिहटा पटना - 593 • सुगौली पूर्वी चंपारण - 55 • सकरी मधुबनी - 47 • लोहट मधुबनी - 213 • बनमनखी पूर्णिया - 118 • थुआ गोपालगंज - 105 • वारसलीगंज नवादा - 73 • गोरौल वैशाली - 54 • गुरारु गया - 27 • सीवान - 32 **(जमीन एकड़ में)**

(साभार : दैनिक भास्कर, 23.1.2018)

केन्द्र ने दो वित्तीय वर्ष का ब्योरा और रिटर्न दाखिल में राहत दी
कंपनियों को फिर मौका

वित्तीय ब्योरा और सालाना रिटर्न दाखिले में चूक करने वाली कंपनियों को सरकार ने एक और मौका दिया है। कंपनियाँ वित्त वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की गई इस चूक को 31 मार्च तक सुधार सकती हैं। सरकार ने 'माफी योजना-2018' के तहत कंपनियों को यह राहत दी है।

दाखिल हुई थी जनहित याचिका : मंत्रालय के मुताबिक, कुछ प्रभावित लोगों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में जनहित याचिकाएँ दाखिल की थी। इसके बाद सरकार ने इन कंपनियों को एक मौका देना तय किया और 'माफी योजना-2018' की रूपरेखा तैयार की। इसके तहत एक जनवरी, 2018 से 31 मार्च तक कंपनियां अपनी भूल सुधार सकती हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि आखिर उनसे देरी क्यों हुई।

मुकदमे वापस होंगे : मंत्रालय ने कंपनी रजिस्ट्रारों को चूक करने वाली कंपनियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने का निर्देश दिया है। ये मुकदमे दीवानी और आपराधिक दायित्वों की कार्रवाई के मद्देनजर दाखिल किए गए थे। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो कंपनियाँ योजना के तहत नहीं आती हैं, उन पर समुचित कार्रवाई कर सकते हैं।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 1.1.2018)

तत्काल टिकट पर मिलेगा पूरा रिफंड

रेल यात्री अब तत्काल टिकट पर शत-प्रतिशत रिफंड पा सकते हैं। रेलवे ने पाँच शर्तों के आधार पर इसकी सुविधा देने का फैसला किया है। नये नियम के मुताबिक, यदि ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन पर तीन घंटे विलंब से पहुंची, ट्रेन का मार्ग परिवर्तित हुआ, बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन नहीं जा रही और कोच डैमेज होने या जिस श्रेणी में टिकट बुक हुआ है, उसमें यात्रा की सुविधा नहीं मिली तो शत-प्रतिशत रिफंड काउंटर और ई-टिकट दोनों पर मिलेगा। यदि यात्री को किन्हीं वजहों से बुक श्रेणी से निम्न श्रेणी में यात्रा की सुविधा मुहैया करायी जाती है तो रेलवे किराये के अंतर के साथ ही तत्काल का चार्ज भी लौटायेगी। **(साभार : प्रभात खबर, 15.02.2018)**

सभी बाजार समितियों का होगा कायाकल्प

तीसरे कृषि रोडमैप में राज्य सरकार ने बाजार पर अधिक जोर दिया है। इसे लेकर राज्य की सभी बाजार समितियों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके परिसर में न सिर्फ सड़क, नाले, शेड, पंप हाउस आदि कई निर्माण होंगे, बल्कि पुरानी संरचनाओं का जीर्णोद्धार भी होगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 23.1.2018)

फल-सब्जी निर्यात को बढ़ावा

बिहार सरकार अब फल और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति बनाने में जुट गई है। इस बारे में वाणिज्य मंत्रालय की कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने बुनियादी ढांचे के विकास में हर मुमकिन मदद का वादा किया है।

एपीडा ने जल्द ही बिहार से फलों और सब्जियों का पहला शिपमेंट यूरोप और खाड़ी के देशों में भेजने का फैसला लिया है। देश में फल, सब्जियों और दूसरे खाद्य उत्पादों का करीब आधा निर्यात प्राधिकरण के जरिये ही होता है। प्राधिकरण के अध्यक्ष डी के सिंह ने कहा, 'बिहार से फलों और सब्जियों के निर्यात की अपार संभावना है, लेकिन इस बारे में प्रगति काफी कम है। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 19.1.2018)**

ट्रेनों पर 1 मार्च से आरक्षण चार्ट नहीं लगाए जाएंगे

आगामी 1 मार्च से ए1, ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेन के कोच पर आरक्षण चार्ट नहीं लगाए जाएंगे। शुरूआत में यह व्यवस्था पायलट आधार पर छह महीने के लिए लागू की जा रही है। सभी जोन को निर्देश जारी हुए हैं। देश के कुछ बड़े रेलवे स्टेशन पर यह परंपरा पहले ही बंद कर दी गई है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 17.02.2018)**

CHAMBER SUBMITTED SPECIFIC FEW SUGGESTIONS ON BIHAR FOR UNION BUDGET 2018-19

Bihar is second largest state of the country in terms of population, but it is far behind from many western and northern states on many front. This year is a dream year for the Bihar, as after a long waiting period, it has witnessed Governments both at state and center who is working for the development of the state and has paid special attention towards its overall development. In the dynamic leadership of honorable prime minister, Bihar has very long list of expectations in the forthcoming budget.

1. **Manufacturing Sector :** To attract, more capital investment, following are the major demand in the forthcoming budget:
   - Tax Holiday of at least for first five years.
   - Capital Investment Subsidy by way of deduction from direct tax liability based on the total capital investment made by the unit except land cost.
   - Capital Investment Subsidy by way of deduction from indirect tax liability (CGST) based on the total capital investment made by the unit except land cost.
   - For the growth of Rural area, Capital Investment Subsidy Rate should be made attractive. It will not only stop migration of youth from their own place but will also reduce increasing population and traffic load on the metro cities.
2. **Education Sector :** Sir, this is high time to think about improvement of infrastructures of education sectors and in addition to the other benefits as may be provided to this sector by the central, we demand following facilities in the forthcoming budget :
   - Complete Tax Holiday for first 10 Years.
   - Capital Investment Subsidy by way of deduction from direct/indirect tax liability, wherever applicable, based on the total capital investment made by these recognized institutions.
   - Special Tax deductions to teaching staffs of these recognized institutions, who reside in the state for teaching the students of these institutions.
   - Research plays key role in the development of a nation, our Hon. Prime Minister has also said on several occasions regarding importance of researches. But in our country, we do not focus much on this sector. There are many areas which require more and more researches particularly in the area of medical, engineering, social engineering, poverty elimination, public money spending, book keeping and accounting in Govt. Sector and many more. We demand that the state should be allotted first Exclusive Research University of the country, as it will not only attract youths of the state but will also be helpful in driving one step ahead the intelligent brains of the state.
   - We are thankful to the Govt. for setting up one IIT in the state and demand one unit of IIM in the state as well.
3. **Healthcare Sector :**
   - Increasing facilities at the AIIMS, Patna.
   - Setting up/ Upgradation of Primary Health Centers at Panchayat Levels with minimum prescribed facilities.
   - Setting up/Upgradation of Emergency Health Centers at Block Levels with minimum prescribed facilities.
   - Setting up of smaller units like AIIMS at the District Level.
   - Promote private investment in this area, by way of several tax incentives.
   - Special Tax Incentives to Doctors/Nursing Staffs working in these institutions in the state.
4. **Tourism Sector :**
   - Promote setting up Hotel Industry, as there is not even a single five star category hotel in the state, by way of Direct and Indirect Tax Holidays for at least five years.
   - Improve infrastructure of LoknayakJaiprakashNarain in the shortest possible span of time.
   - Speed up the work at proposed International Airport at Bihta.
   - Open up Gaya Airport for commercial operation.
   - Start flying from Muzaffarpur, Purnea and other possible places of the state.
   - Building Bridges, roads covering tourist destinations as emergency plan.
5. **Apart from above sector specific expectations, we expect few other facilities for overall growth of trade and commerce in the state :**
   - Compliance of GST is being difficult and costly for many small business houses due to lack of infrastructure facilities, poor internet connectivity, lack of availability of knowledgeable consultants etc. particularly in the rural and/or sub-urban areas. We expect more support from the Government to make people tax compliant in the state, few of them are listed as below :
     - Concept of GST Mitra should be introduced at Panchayats, Blocks and District Levels having at least one such "Mitra" at every Panchayat, at least "Two" at Block levels and at least "Five" at district level. This may be done on the PPP mode with a small financial support from the Government.
     - Full Accounting software for traders should be developed and given to every registered taxable person free of cost. Software should be designed in such manner that mere uploading of data will be sufficient and fulfil the requirement of furnishing returns.
     - These small businesses may be incentivized by way of small cash back to their account for timely compliance of GST. Previously State VAT was also allowing rebate to such tax payers but this was restricted to 0.5% for all tax payers with maximum ceiling of Rs. 50000/- per year. We request reintroduction of this concept with cash back of at least 5% of tax paid by such tax payers with maximum ceiling of Rs. 1 Lakh per tax payer.

(Full memorandum can be had from Chamber office)

CHAMBER SUBMITED PRE-BUDGET MEMORANDUM ON RAILWAYS FOR THE FINANCIAL YEAR 2018-2019

1. **Expeditious Establishment / Completion Of Railway Projects**

   All the Railway Projects sanctioned for the state of Bihar by the Union Cabinet should be given adequate fund and completed at the earliest for the development of Indian Railways and the state -

   (a) New Lines (b)Doubling of tracks (c) Gauge Conversions : specially Madhepura- Purnia section (d)Wheel Plant;Bela (e) Barauni Electric Locomotive Shed, (f) Barauni Diesel Locomotive Shed.
2. **Rake Sidings**
   (a) For night shift 12 working hours of work should be treated as 6 hours working time.
   (b) For easy & quick unloading of wagons proper lighting is not only essential on the platform but also inside the wagons.
   (c) Common Facilities for unloading workers should be provided as per Indian Labour Laws.
3. **Adoption Of New System**
   - Advance Signaling System should be introduced to avoid congestion.
   - Adopt the latest new latest technology from developed nation to avoid late operation of trains affected due to fog.
4. **Third Rail Line**

   A third line is of paramount importance between Jhajha & Mughalsarai to prevent late running of trains passing through or ending in Patna or Rajendra Nagar.

5. Rail Linkage Between State Capitals
As per the Policy, the State Capital Patna should be linked with remaining capital cities of all States.

6. Passengers Facilities / Safety

7. New Railway Line & New Station
(i) A separate Rail line should be constructed from Bihar Sharif to Nawada and a new railway station at Pawapuri should be established. This would provide immense relief to the pilgrims visiting the holy place.
(ii) The work to provide rail connection to Vaishali should be carried out on priority basis.

8. Electrification
(i) Burdwan to Bhagalpur loop line should be electrified.
(ii) The work of Electrification of Railway Line between Barauni & Guwahati should be completed expeditiously.

9. Introduction Of New Trains
(i) DEMU/MEMU should be introduced Patna to Jaynagar / Darbhanga, Muzaffarpur-Hajipur-Chapra & Hajipur-Muzaffarpur-Sugauli.
(ii) A new Intercity Train should be introduced between Patna to Varanasi.
(iii) Garib Rath should be introduced between Patna to Mumbai, Patna to Ranchi and Patna to Lucknow.
(iv) Duranto Trains between Patna-Delhi ,Patna-Mumbai & Patna-Pune should also be introduced.
(v) Additional Superfast Train between Patna-Mumbai and Patna-Bangalore route should be provided and frequency of the existing train should be increased.
(vi) Patna to Bhopal via Mugalsarai, Varanasi, Agra, Jhansi and Gwalior, so that historical placeslike Agra, Jhansi and Gwalior are covered and capital of Madhya Pradesh is directly linked.
(vii) There is no train between Patna to Kanpur in day hours, therefore, a new train should be introduced.
(viii) A direct train between Patna and Hardwar via Faizabad should be introduced. Presently only one weekly train is available to Patnaites which starts from Howrah and this is creating immense difficulties for the pilgrims.
(ix) As the present Brahmaputra Mail 14055/14056 can not cope with the demand of passengers of Bihar for journey upto Guwahati, a new direct Super Fast Train from Patna to Guwahati Via Bhagalpur - Sahebganj and via Barauni should be introduced.

10. Extension of Trains and Increase In Frequency

11. Suburban Train Facility

12. Satellite Based Train Tracking System

13. Metro Rail
METRO RAIL for PATNA town should be considered on priority basis.

14. Ancillary Units for Railway Projects

(Full memorandum can be had from Chamber office)

दिनांक 25.01.2018 को माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त वाणिज्य-कर मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को वित्तीय वर्ष 2018-2019 हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमस एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से समर्पित ज्ञापन के मुख्य अंश

उद्योग से सम्बन्धित मुद्दे

1. **बजट में उद्योग विभाग का Allotment अधिक करने के सम्बन्ध मे**
2. **वैट प्रतिपूर्ति के लंबित मामले का निपटारा हेतु पर्याप्त धन राशि का आवंटन**
3. **बैंकों का नकारात्मक रवैया:-**
4. **सूचना प्रावैधिकी (IT):-**
5. **चाय उद्योग के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति तैयार किये जाने हेतु निवेदन**
6. **जॉब वर्क ईकाईयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का लाभ दिये जाने के संबंध में**
7. **उद्योग के उपयोग हेतु भूमि की समुचित उपलब्धाता का अनुरोध**

बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है। थर्मल पावर प्लान्ट इत्यादि जैसी इकाईयों की स्थापना के लिए एक बहुत बड़े भू-भाग की आवश्यकता है, इसके साथ ही अन्य उद्योगों के लिए भी ऐसे बड़े भू-भाग की आवश्यकता होने पर प्रबन्ध करना होगा। हमें आशा है कि सरकार उद्योगों के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कदम उठाएगी:-

- भूमि बैकों की स्थापना द्वारा ।
- बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के लिए उद्यमी एवं किसान के बीच सरकार Facilitator की भूमिका का निर्वहन करे।
- ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया एवं स्टेट्स (Estate) की स्थापना द्वारा।
- औद्योगिक उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा जगह-जगह पर भूमि का चयन कर इसकी घोषणा की जानी चाहिए कि यह जमीन केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही होगा जिससे कि Promoter एवं जमीन मालिक आपसी समझौता से जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए सहजता से खरीद सकें।
- नई औद्योगिक इकाईयाँ यदि अपनी आवश्यकता का 50% या 60% या 70% से अधिक जमीन की व्यवस्था अपने स्तर पर कर लेती हैं तो बाकी बचे जमीन हेतु बगल में यदि गैर-मजरूआ जमीन हो तो उसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है।

  यदि जमीन की और आवश्यकता शेष रह जाती है तो उसे भी सरकार बाजार दर पर जमीन अधिग्रहण कर उद्यमी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है ।
- अमृतसर-दिल्ली-कोलकत्ता Industrial Corridor विकसित होने जा रहा है। सरकार द्वारा बिहार में जहाँ-जहाँ से यह Corridor गुजरेगा, उसके दोनों तरफ अभी से ही बड़े-बड़े भूमि के टुकड़ों (1000 – 2000 एकड़) को प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए। इस Industrial Corridor को Eastern Dedicated Freight Corridor से बहुत मदद मिलेगी और इससे बिहार में औद्योगीकरण में तेजी आयेगी एवं नये रोजगार का सृजन होगा।

8. **आधुनिक प्रयोगशाला**
9. **रूग्न इकाईयों का पुनर्वास :**

9.1 पुर्नवासित रूग्न ईकाईयों को भी औद्योगिक नीति के अन्तगर्त मिल रहे सभी प्रकार के प्रोत्साहनों का पात्र बनाया जाना चाहिए।

9.2 रूग्न ईकाईयों के पुर्नवास की प्रक्रिया में यदि मैनेजमेन्ट बदल भी जाती है तो ऐसी स्थिति में बियाडा द्वारा निर्धारित जमीन के अद्यतन दर पर लगने वाले Transfer fee को समाप्त किया जाना चाहिए।

10. वैसे सभी उद्योग जो सूक्ष्म उद्योग (Micro Industry) की श्रेणी में आते हैं तथा वैसे सभी उद्योग जो Pollution Free Industry की श्रेणी में आते हैं उनको Consent लेने की बाध्यता से मुक्त किया जाना चाहिए

11. औद्योगिक भूखंड के MVR के संबंध में

12. राज्य के सभी जिलों में उद्योग विकसित करने के सम्बन्ध में

13. बिहार के सभी जिलों में शहर से चार-पाँच किलोमिटर के अन्दर एक Special Hub Develop किया जाना चाहिए जिसमें बुनियादी सुविधाएं यथा - सड़क, नाला, रोड, बिजली, पेयजल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे कि वहाँ पर शिक्षा, कौशल विकास, सर्विस सेक्टर, होस्पिटल आदि से संबंधित यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य करना चाहे तो उसे वहाँ पर जमीन उपलब्ध कराया जा सके।

वैट से संबंधित मुद्दे

14. **वाणिज्य-कर की नीतियों से संबंधित समस्याएँ:-**

14.1 **VAT प्रतिपूर्ति के संबंध में**

01-07-2017 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के उपरान्त Excise Duty, Entry tax VAT के स्थान पर GST का दायित्व बनता है। सरकार की वैट एक्ट में दी जाने वाले वैट की प्रतिपूर्ति की तरह GST में दी जाने वाली प्रतिपूर्ति की कोई भी प्रक्रिया अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है।

हमारा सुझाव है कि जिस प्रकार VAT के तहत VAT की प्रतिपूर्ति में Entry Tax का सामंजस्य किया जाता था उसी प्रकार GST के तहत Admitted Output SGST को पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति किया जाना चाहिए। जिसका Payment IGST अथवा Cash के माध्यम से किया गया हो।

14.2 विभागीय अपीलीय न्यायालयों / प्राधिकारों के समक्ष बिहार वित्त अधिनियम 1981, बिहार वैट एक्ट 2005 एवं CST एक्ट से सम्बन्धित लम्बित वादों को

निष्पादित करने के लिए One Time Settlement (OTS) योजना पुन: लाई जाए जिससे कि दोनों पक्षों को अनावश्यक खर्चे एवं परेशानी से बचाया जा सके तथा सरकार को भी विवादित राजस्व के मद में राशि की प्राप्ति हो सके। इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि Disputed tax का 20% रकम लेकर के Settlement कर दिया जाना चाहिए।

15. केन्द्र सरकार ने देश भर में 1 जूलाई, 2017 से GST लागू कर दिया है। अत: व्यवसायियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए व्यवसायियों द्वारा फाईल 2017-18 के प्रथम तिमाही के लिए दाखिल विवरणी को ही 2017-18 की वार्षिक विवरणी मानकर कार्रवाई को संपूर्ण कर दिया जाना चाहिए।

16. VAT Regime में बहुत सारे व्यवसायियों ने अपनी विवरणी अभी तक फाइल नहीं की है अथवा देरी से फाइल की है। उन सभी व्यवसायियों को पिछले दो वर्षों के लिए (2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 की प्रथम तीमाही) सभी प्रकार के बिलम्ब शुल्क के दायित्व से मुक्त कर दिया जाए ताकि जिन व्यवसायियों ने अपना विवरणी फाइल कर दी है अथवा जिन्होंने फाइल नहीं की है और की जानी है। उन सभी को बिलम्ब शुल्क के मद में सरकार की ओर से यह एक सहयोग होगा और वे सभी व्यवसायी वैट के अन्तर्गत अपने सभी औपचारिकता को संपूर्ण कर सकेंगे

17. राज्य सरकार द्वारा व्यवसायियों को उच्च वैट संग्रहण तथा कर संग्रहण में बढ़ोतरी के लिए भामा शाह सम्मान से पुरस्कृत किया जाता था। हमारा अनुरोध है कि यह व्यवस्था राज्य स्तर पर GST में भी लागू रहनी चाहिए।

विद्युत से सम्बन्धित मुद्दे

18. राज्य में उद्योग एवं वाणिज्य के लिए बिजली की दर अन्य राज्यों के समकक्ष होना चाहिए। घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाले सब्सिडी की भरपाई उद्योग एवं व्यापार जगत से नहीं किया जाना चाहिए। राज्य में उद्योगों की कमी है और जो उद्योग हैं उनमें से ज्यादातर उद्योग MSME सेक्टर में आते हैं। वैसे उद्योगों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उच्च बिजली शुल्क का भुगतान कर सके जिससे कि घरेलू उपभोक्ताओं को मिलनेवाली सब्सिडी की भरपाई हो सके।

19. **समुचित औद्योगिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना**

20. राज्य की उर्जा की मांग 4000 MW आंकी गई है। केन्द्रीय प्रक्षेत्र से राज्य को अधिकतम लगभग 2500 MW विद्युत का आवंटन किया गया है परन्तु औसतन 1500 मेगावाट कम बिजली ही उपलब्ध हो पाती है ऐसी परिस्थिति में विद्युत बोर्ड द्वारा 4000 MW पर MMG Charge किया जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है।

21. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अन्तर्गत Covered औद्योगिक ईकाईयों को MMG/AMG से छूट

वैसी औद्योगिक ईकाईयाँ जिन्हें औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अन्तर्गत उनके वाणिज्यिक उत्पादन से पाँच वर्षो के लिए MMG/AMG से छूट का प्रोत्साहन प्राप्त है तथा जिन्होंने अब तक पाँच साल तक देय इस छूट की अवधि पूरी नही की है उन्हें पाँच साल की समय सीमा पूरा होने तक यह छूट उनके लिए बरकरार रखी जानी चाहिए।

21.1 राज्य की सभी औद्योगिक ईकाईयों को 2016 के औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में भी MMC/ MMG/ AMG से छूट मिलनी चाहिए। अन्यथा जो ईकाई पूरा उत्पादन नही कर पाती है वो इस बोझ को वहन नही कर पाती और बन्द हो जाती है। यह सुविधा 2006 एवं 2011 की प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत उद्योगों को प्राप्त थी।

21.2 किसी भी औद्योगिक उपभोक्ता द्वारा जितनी विद्युत Consume की जाती है उसी के अनुरूप उस उपभोक्ता पर भुगतान देय होना चाहिए।

27. (i) **सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ब्याज:-** सभी प्रकार के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गये सिक्योरिटी डिपॉजिट पर दी जाने वाली ब्याज की दर बैंक दर के समान हो, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर निर्दिष्ट करता है। गत् वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक दर औसतन 9% थी जब कि सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ब्याज 6% की दर से भुगतान किया गया। अत: अनुरोध है कि पिछले वर्षो के बकाया ब्याज के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 9% दर से ब्याज के भुगतान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए।

(ii) सिक्योरिटी डिपॉजिट पर दी जाने वाली ब्याज का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए एवं Deductee को TDS Certificate निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हमें सूचना मिली है कि वर्तमान में कई Cases में TDS काटे जाने के बावजुद उक्त राशि Income-Tax विभाग में जमा नही की गयी है।

28. Domestic Consumer को Security Deposit पर ब्याज का भुगतान नहीं होता है। अत: उन्हें भी ब्याज के भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

29. वर्तमान में सभी औद्योगिक ईकाईयों को 6% की दर से विद्युत शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जिससे उद्योगों को काफी कठिनाई हो रही है। वर्तमान दर के कारण ईकाईयों को 40 पैसे प्रति किलोवाट के हिसाब से भुगतान करना पड़ रहा है। अत: अनुरोध है कि विद्युत शुल्क 5 पैसे प्रति किलोवाट की दर से अधिक नही रखा जाना चाहिए।

30. केन्द्रीकृत उपभोक्ता हेल्पलाईन जल्द से जल्द शुरू करने की आवश्यकता है जिससे उपभोक्ताओं की सभी तरह की शिकायतों का निबटारा किया जा सके। जिसमें बिजली की आपूर्ति और बिलों में सुधार इत्यादि प्रमुख है।

32. कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि सिजनल वाले मिल एवं कोल्ड स्टोरेज का डिमांड चार्ज जितने दिन कार्यरत रहते हैं उतना ही होना चाहिए। साथ ही उसके लिए बिजली की दर भी कम होना चाहिए।

33. **आवास (Housing) एवं शहरीकरण :-**

निम्न एवं निम्न मध्यवर्गीय नागरिकों की ज्वलन्त समस्या आवासीय व्यवस्था की मांग है। सरकार का यह दायित्व है कि ऐसी जनसंख्या के लिये Low cost Housing Scheme का विकास करें। आप अवगत हैं कि 15 लाख तक के गृह निर्माण अग्रिम पर ग्राहकों को 1% की छूट अनुमान्य है बशर्ते कि Housing Cost 25 लाख रूपये से अधिक न हो। राज्य की अधिकांश जनसंख्या इसका लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि यह देखा गया है कि पटना या इसके इर्द-गिर्द दो बेड रूम वाले फ्लैट की कीमत भी 25 लाख रूपये से कहीं ज्यादा है ।

अत: चैम्बर का सुझाव है कि पटना के वैसे इलाके जहाँ आवासीय कोलनी Housing Board द्वारा या राज्य सरकार के कर्मचारियों / पदाधिकारियों के लिये बने कोलनी का विकास PPP Mode पर Low Cost Housing Scheme के तहत करवाया जाय। स्वाभाविक है कि जहाँ आवासीय फ्लैट का निर्माण किया जायेगा, वहाँ Commercial Complex भी अपेक्षित होंगे।

High तथा Unrealistic Circle Rate के कारण निर्माण उद्योग को अनेकों प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अत: आग्रह है कि Circle Rate को यथाशीघ्र Rationalise किया जाये।

34. **New Building Bye-Laws-Amnesty Scheme** : लम्बे इंतजार के बाद राज्य सरकार ने नया Building Bye-Laws का निर्धारण किया। Building Bye-Laws के आने से राज्य में रूक-सी गई भवन निर्माण उद्योग (Real Estate sector industries) को पुन: पुनर्जीवित होने की आशा जगी थी, लेकिन बिल्डिंग बायलॉज के अनेक प्रवधान एक दूसरे के विरोधाभाषी हैं जिसके कारण बायलॉज के प्रावधान के अनुरूप उद्यमियों को काम करने में कठिनाई हो रही है। पुन: पटना नगर निगम द्वारा भी मकान का नक्शा पास किये जाने में अत्यधिक विलम्ब किये जाने के कारण भवन निर्माण उद्योग राज्य में बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अत: आवश्यकता है कि बिल्डिंग बायलॉज के खामियों को अंशधारकों के साथ बैठ कर जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाय तथा पूर्णता में लागू हो, यह सुनिश्चित किया जाय।

Building Bye-Laws के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि पुराने Bye-Laws के आधार पर बने बड़ी संख्या में भवनों को जिसमें छोटे-मोटे विचलन हुए हैं उनके उपर निगरानी का मामला दर्ज है जिसका निपटारा भी नही हो पा रहा है जिसके परिणामस्वरूप, समाचार-पत्र के रिपोर्ट के आधार पर, 500 करोड़ से अधिक का निवेश इसमें block है। इस विषय में चैम्बर ने पूर्व में भी सरकार के समक्ष यह मांग रखी थी और एक बार पुन: यहां रखना चाहता है कि विचलन के आधार पर रोक लगायी गयी निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार एक बार Amnesty Scheme लाकर ऐसे निर्माण को regularise करें।

35. **लीज होल्ड भूखंड को फ्री होल्ड में परिवर्तित किए जाने की मांग :** हाल में बिहार सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आवास बोर्ड के जमीन को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया है जिसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। हमारी मांग है कि भूखंड के बेहतर उपयोग के मद्देनजर PRDA, खास महल, बियाडा के जमीन जो लीज होल्ड के रूप में उपभोक्ताओं को आवंटित किए गए हैं, उन्हें फ्री होल्ड किया जाए।

36. बिहार की विकास दर गत् वर्षो में काफी अधिक रही है। ऐसा अनुमानित है कि लगभग 13% की विकास दर हासिल कर लेने वाला बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था

आगामी 6 वर्षो में दुगनी तथा 12 वर्षो में चौगुनी हो सकती है। ऐसे में राजधानी पटना के विस्तार की नितान्त आवश्यकता है। चूंकि पहले से ही पटना पूरब से पश्चिम तक काफी लम्बा नगर है तथा इसके उत्तर में गंगा नदी है अत: इसका शहरी विस्तार दक्षिण के क्षेत्र में ही किया जाना संभव प्रतीत होता है। इस आलोक में हमारा सुझाव है कि राज्य के आगामी बजट में पटना के शहरी विस्तार हेतु उत्तर-दक्षिण दिशा में पटना सिटी से दानापुर तथा जहानाबाद तक कम से कम दो 4/6 लेन सड़क के निर्माण का प्रस्ताव किया जाये। उक्त क्षेत्र में सड़क विकसित हो जाने के बाद ही इन क्षेत्रों में शहरी विकास संभव हो पायेगा।

अन्य मुद्दे

37. **व्यवसायियों के कल्याण हेतु ''व्यवसायी कल्याण कोष/ Trader Welfare Board" के सृजन/ गठन के सम्बन्ध में ।**

व्यवसायी राज्य के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदाकदा व्यवसायी को भी आपात स्थिति में वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। एक कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व है कि वह समाज के सभी वर्गों के कल्याण हेतु योजना बनाये। अतएव, किसी आपात स्थिति में यदि व्यापारी वर्ग को वित्तीय सहायता की जरूरत हो तो उसे राहत पहुँचाने के लिये राज्य की ओर से एक कल्याण कोष का गठन किया जाना आवश्यक है। अत: अनुरोध है कि ''व्यवसायी कल्याण कोष'' का गठन कराया जाय। यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि हाल में ही हरियाणा सरकार द्वारा व्यापारियों की समस्याओं के निदान एवं उनके कल्याण के लिए एक Trader Welfare Board का गठन किया है। जिससे न केवल व्यापारियों का कल्याण सुनिश्चित हो पाये बल्कि राज्य की आर्थिक उन्नति को भी बढ़ावा मिले। इसी तर्ज पर बिहार में भी बोर्ड का गठन किया जा सकता है।

38. **गैस पाइपलाइन**

अभी तक बिहार में गैस पाइपलाइन उपलब्ध नहीं है। जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइपलाइन का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है और यह गैस पाइपलाइन बिहार के अनेक स्थानों से गुजरेगी, जिसका अधिकतम लाभ लिया जाना चाहिए। गैस पाइपलाइन का भौगोलिक वितरण असमानता भरा रहा है, जिसके फलस्वरूप पाइपलाइन के नजदीक वाले राज्य इसका अधिक लाभ उठा पाते हैं और उन स्थानों में गैस का स्थानीय बाजार विकसित हो जाता है। जब कि पूर्वी राज्यों विशेषकर बिहार गैस का लाभ गैस की अनुपलब्धता की वजह से नही उठा पा रहे हैं।

राज्य सरकार, IOC तथा GAIL के बीच MOU भी हस्ताक्षरित हुए हैं इसके अनुसार GAIL का प्रमुख गैस पाईप लाईन गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर जिला होकर गुजरेगा। इस गैस पाइपलाइन को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिल सके।

39. **हवाई अड्डा**

पटना एवं बिहटा के हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के सरकार के प्रस्ताव का बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज स्वागत करता है। साथ ही राज्य सरकार से अनुरोध करता है कि इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराने का पहल अपने स्तर से करे।

इसी सन्दर्भ में कहना है कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा जाँच में काफी बिलम्ब होती है इसमें तेजी लाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिक्षालय की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाए।

भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार के प्रमुख जिले यथा - मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर आदि के एयरपोर्ट को विकसित किया जाए और उन्हें उड़ान योजना से जोड़ा जाए।

40. **रोड एवं पुल**

दीघा-पहलेजा के एप्रोच रोड को सुव्यवस्थित कर यथाशीघ्र माल परिवहन की सेवा भी पुल पर चालू किया जाए। इस संबंध में चैम्बर का अनुरोध होगा कि तत्काल कम-से-कम रात के समय में माल वाहक वाहनों को पुल पर चलने की अनुमति प्रदान किया जाए।

गाँधी सेतु के पैरलल 4/6 जो प्रस्तावित है उसे शीघ्र प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

मुंगेर-खगड़िया पुल का एप्रोच रोड जो NHAI से अनुमोदित है उसके काम में तेजी लाया जाए।

बिहार के विभिन्न भागों के लिए अनुमोदित फोर लेन/सिक्स लेन के कार्यों में तेजी लाया जाए। यदि इसके निर्माण में किसी प्रकार की कोई बाधा हो तो उसे यथाशीघ्र सरकार के स्तर से दूर किया जाना चाहिए जैसे – पटना-गया डोभी रोड, पटना-आरा मोहनिया रोड, रजौली-नवादा-बख्तियारपुर-मोकामा, बरौनी -पूर्णिया, गंगा के उपर सिक्स लेन, पटना-बक्सर रोड, हाजीपुर-छापरा (इसमें 10% काम दीघवारा से आमी के बीच नहीं होने के कारण परियोजना लटकी है)

पटना की यातायात व्यवस्था को को सुदृढ़ करने के लिए आर ब्लॉक से दीघा घाट पर सड़क बनाने की योजना काफी दिनों से लंबित है उस पर शीघ्र काम प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

41. कृषि विभाग द्वारा कृषि के विकास के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं को बड़े स्तर पर चलाया जाना चाहिए जिससे कि किसानों को फायदा हो और उससे संबंधित खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिल सके।

42. समुचित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ICD/Dry Port शीघ्रातिशीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए। **(विस्तृत ज्ञापन हेतु चैम्बर से सम्पर्क करें)**

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा-16 द्वारा प्रदत शाक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 के नियम-7 के उपनियम-(2) को निम्नलिखित द्वारा तुरंत के प्रभाव से प्रतिस्थापित करती है :-

2. सक्षम प्राधिकार और अनुमोदन दिन जाने तथा वित्तीय प्रोत्साहन का निर्णय लिए जाने हेतु समय-सीमा निम्नवत होगी:-

(1) वैसे प्रस्तावों पर, जिनमें रु 5.00 करोड़ और उससे कम का निवेश अंतर्ग्रस्त हो, आयुक्त 15 दिनों की समय-सीमा के भीतर निर्णय लेंगे।

(2) वैसे प्रस्तावों पर जिनमें रु 5.00 करोड़ से अधिक और रु 15.00 करोड़ की सीमा तक निवेश अंतर्ग्रस्त हो, मंत्री, उद्योग विभाग द्वारा 15 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

(3) वैसे प्रस्तावों पर जिनमें रु 15.00 करोड़ से अधिक और रु 30.00 करोड़ तक की सीमा तक निवेश अंतर्ग्रस्त हो मंत्री, उद्योग विभाग और मंत्री, वित्त विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाएगा। उद्योग मंत्री 15 दिनों के भीतर निर्णय लेंगे और तत्पश्चात वित्त मंत्री अगले 15 दिनों में निर्णय लेंगे।

(4) रु 30.00 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह/-

(डॉ. एस. सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक - 1902 / पटना दिनांक - 21.12.2017

सं. सं. - 4 तक० / SIPB / 152 / 2017

प्रतिलिति :- राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 1000 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह/-

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

आवश्यक सूचना

सदस्यों की सुविधा हेतु माल एवं सेवा कर (GST) से संबंधित समस्याओं / सुझावों को भेजने हेतु चैम्बर की ओर से एक ईमेल आईडी bccigst@gmail.com बनाया गया है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे GST संबंधी समस्याएँ / सुझाव उक्त ईमेल पर भेजें।

Statement about ownership and other particulars about newspaper of the Bihar Chamber of Commerce & Industries monthly Bulletin to be published in the first issue every year after last day of February.

Form - IV
(See Rule -8)

1.	Place of Publication	Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800 001
2.	Periodicity of its publication	Monthly
3.	Printer's Name Whether Citizen of India? (If foreigner, state the Country of origin) Address	A. K. Dubey Indian Deputy Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001
4.	Publisher's Name Whether Citizen of India? (if foreigner, State the Country of Origin) Addrss	A. K. Dubey Indian Deputy Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001
5.	Editor's Name Whether Citizen of India? (If Foreigner, State the Country of Origin) Address	Shri Amit Mukherji Indian M/s Standard Industries 35, New Market Patna - 800 001
6.	Name and Address of Individual who own the newspaper and partners of Share-holders	Bihar Chamber of Commerce & Industries Khem Chand Chaudhary Marg Patna-800 001

I, A. K. Dubey, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

A. K. Dubey
Publisher

चैम्बर का आगामी कार्यक्रम –
होली मिलन समारोह-दिनांक 28-02-2018

चैम्बर ने पूर्व अध्यक्ष स्व0 खेमचन्द चौधरी की पुण्य तिथि मनाई

स्व० चौधरी के चित्र पर माल्यार्पण करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व कोषाध्यक्ष डॉ. रमेश गांधी, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, श्री प्रदीप चौरसिया, श्री सावल राम ड्रोलिया एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष स्व0 खेमचन्द चौधरी की 42वीं पुण्य तिथि पर दिनांक 14 जनवरी, 2018 को चैम्बर अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कर स्व0 चौधरी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल ने स्व0 खेमचन्द चौधरी जी को एक निर्भीक, स्पष्टवादी एवं दयावान व्यक्ति की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि वे व्यापार, उद्योग एवं समाज की प्रगति हेतु पूर्णरूपेण समर्पित थे। स्व0 चौधरी का आकस्मिक निधन उस वक्त हुआ जब वे 14 जनवरी, 1975 को पीड़ितों एवं जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़े एवं कम्बलों का वितरण करने हेतु सड़क मार्ग से दरभंगा जा रहे थे । रास्ते में कार दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 14 जनवरी को उनकी पुण्य तिथि पर बैठक आयोजित कर चैम्बर सदस्य उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद करते हैं। स्व0 चौधरी जी ने जो बलिदान एवं त्याग समाज के लिए किया, वही सबसे बड़ी बात है। व्यापार जगत की बात सरकार सुने उसके लिए वे जोरदार प्रयास करते थे।

चैम्बर के 47 वें वार्षिकोत्सव में स्व0 चौधरी ने जिस निर्भीकता से भाषण दिया, वह देश के सभी अखबारों में छपा था। वह प्रति आज भी चैम्बर की लाइब्रेरी में सहेज कर रखी है।

स्व0 चौधरी के पौत्र श्री अमर चौधरी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि चैम्बर मेरे दादा जी की 42वीं पुण्य तिथि मना रहा है, यह उनके प्रति चैम्बर का सर्वोच्च सम्मान का परिचायक है। उनके दिखाये रास्ते पर हम भी चले, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री नन्हे कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व कोषाध्यक्ष डॉ0 रमेश गॉधी, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, श्री राजेश कुमार खेतान, श्री सुनील सराफ, श्री सावल राम ड्रोलिया, श्री पुरूषोत्तम चौधरी सहित कई सदस्य उपस्थित थे।

होली की हार्दिक शुभकामनाएँ

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296